

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 539/2010/अजमेर
2. अपील संख्या - 540/2010/अजमेर
3. अपील संख्या - 541/2010/अजमेर
4. अपील संख्या - 542/2010/अजमेर
5. अपील संख्या - 543/2010/अजमेर
6. अपील संख्या - 544/2010/अजमेर
7. अपील संख्या - 545/2010/अजमेर

मैसर्स श्री सीमेंट लि., ब्यावर, अजमेर

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.एल.पाटौदी, एवं सुश्री ईश्यू जैन अभिभाषक
श्री जमील जई, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.01.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है।
2. सभी प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. उक्त अपीलों में अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अजमेर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत पारित निर्धारण आदेशों को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा न्यू इकाई द्वारा किये गये उत्पादन पर देय जमा कर योग्य राशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान स्वीकृत करने में इस अधिनियम के तहत देय जमा कर योग्य राशि में से आगत कर घटाने/मुजरा (set-off) के पश्चात् शेष राशि कर संदेय योग्य होना अवधारित किये जाने संबंधी पारित निर्धारण आदेश की पुष्टि करने संबंधी पारित अपीलीय आदेशों को चुनौती दी गई है।
4. प्रकरणों के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी इकाई को राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा (Rajasthan Investment Promotion Scheme 2003) रिप्स 2003 के तहत अधिसूचना क्रमांक F.4(18)FD/TAX/Div/2001 दिनांक 28.07.2003 के अनुसार एन्टाईटलमेन्ट सर्टिफिकेट जारी किये गये थे, जिनके आधार पर सब्सिडी डिसबर्समेन्ट आदेश पारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा खरीद पर चुकाये गये आगत कर तथा डेफर्ड टैक्स को जमा नहीं मानते हुए उन पर लाभ नहीं दिया गया। आईटीसी क्लेम तथा डेफर्ड टैक्स का लाभ स्कीम के क्लॉज 11 के तहत वित्त विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त होने के पश्चात स्वीकृत किया जाना अंकित किया गया। जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपीलें खारिज की। जिससे व्यथित होकर यह अपीलें व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

Amrta Kumar
16/03/17

5. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अनुदान राशि स्वीकृत की गई एवं शेष अनुदान राशि चाही गई है, उनका सम्पूर्ण विवरण सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार सारणी में दर्शाया जा रहा है :-

अपील सं.	अ.अ.की अपील सं.	अनुदान आदेश अवधि	क.नि. आदेश दि.	आईटीसी क्लेम	डेफर्ड कर	कुल राशि
539/10	115/08-09/वेट	01.10.07 से 31.10.07	14.11.07	72,54,439	2,26,71,634	2,99,26,073
540/10	114/08-09/वेट	01.11.07 से 30.11.07	14.12.07	66,65,921	1,83,67,992	2,50,33,913
541/10	214/09-10/आरएसटी	01.12.07 से 31.12.07	15.01.08	72,93,870	2,29,77,002	3,02,70,872
542/10	169/07-08/वेट	01.01.08 से 31.01.08	12.02.08	80,06,018	1,68,48,721	2,48,54,739
543/10	22/08-09/वेट	01.02.08 से 29.02.08	12.03.08	79,48,004	1,48,10,090	2,27,58,094
544/10	25/08-09/वेट	01.03.08 से 31.03.08	15.04.08	85,34,772	1,32,48,231	2,17,83,003
545/10	28/08-09/वेट	01.04.08 से 30.04.08	13.05.08	55,79,242	1,55,71,420	2,11,50,662

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रहा है कि input tax credit की राशि जो डिलर द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे वैट बिलों में घटाया व दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार क्रेता डिलर द्वारा पूरा वैट जो चार्ज किया गया, उस पर क्रेता डिलर द्वारा input tax credit प्राप्त किया जा रहा है। क्योंकि input tax वह कर है, जो माल के क्रय करने पर अदा किया जाने योग्य है न कि माल के विक्रय पर। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह तर्क रहा है कि डिलर द्वारा जो input tax प्राप्त किया गया उसे वैट बिल में वैट चार्ज से घटाने (deduct) की आवश्यकता नहीं है तथा उसे रिप्स 2003 के तहत अतिरिक्त कर की गणना हेतु भी घटाने/मुजरा (set off)की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य राशि की गणना में जमा कर योग्य राशि में से आगत कर घटाने/मुजरा (set off) के पश्चात् शेष राशि संदेय कर (Tax payable) योग्य अवधारित करना त्रुटि पूर्ण है।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने "अधिनियम" की धारा 4 व धारा 17 के प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर यह कथन किया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेशों में "संदेय कर" (Tax payable) की व्याख्या मनमर्जी से की है, जो कि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा "रिप्स-2003" में अंकित शब्दावली "संदेय कर" (Tax payable) के संबंध में 10.10.2008 को स्पष्टीकरण (Clarification) जारी किया गया। रिप्स 2003 योजना राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांकित 28.07.2003 से लागू की गई है। अतः ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 से पूर्व भूतलक्षी प्रभाव से रिप्स 2003 के संबंध में लागू किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः "संदेय कर" (Tax payable) शब्दावली की व्याख्या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाकर अपीलों को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि संदेय कर की गणना इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार की गई है। जिसके अनुसार इस अधिनियम के तहत देय कर (tax leviable under this Act.) में से input tax को घटाने/मुजरा (set off) के पश्चात् संदेय कर (Tax payable) के 50 प्रतिशत तक का अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त अनुदान रिप्स 2003 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही

Amicus
16/03/17

→

लगातार.....3


प्रदान किया गया है। यही सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत RSWM LIMITED, UMA POLYMERS LTD. V/s State of Rajasthan And Others निर्णय दिनांक 24.11.2011 में प्रतिपादित किया गया। अतः अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।


7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

इन सभी प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 1593 से 1603/2014/अजमेर मैसर्स श्री सीमेंट लि., ब्यावर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 02.06.2016 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

8. फलतः माननीय कर बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सातों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य